मेरठ विकास प्राधिकरण

की

35वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 9-6-88

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 9-6-88

समय : प्रात: 11 बजे
स्थान : विकास भवन, "सभा कक्ष"

उपस्थिति :

1-	श्री वी०के०दीवान	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री कुँवर फतेहबहादुर	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री विजय शर्मा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव,आवास,लखनऊ।	सदस्य
5-	श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
6	श्री वी०एल०बालचन्दा	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9-6-88 का कार्यवृत्त।

कार्यवृत्त का विवरण

मद संख्या - 25

आबू नाला स्थिल इलैक्ट्रा व्यवसायिक केन्द्र पर विचार।

बेगमपुल से कचहरी तक आबू नाले के ऊपर मै० इलैक्ट्रा इंण्डिया द्वारा आधुनिक व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि जिन-जिन लोगों ने इस व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण पर आपत्ति की थी कि उनको उनके द्वारा सुना गया। आबू नाला संघर्ष समिति द्वारा मुख्य रुप से यह कहा गया कि आबू नाले के ऊपर व्यवसायिक केन्द्र बनने से नाले के बहाब पर विपरीत प्रभाव पडेगा। गत बैठक दिनाँक 6-11-85 में यह निर्णय लिया गया था कि अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम को भी इस योजना के क्रियान्वयन में सम्बद्ध किया जाये तथा यह भी सुनिशिचत किया जाये कि पानी की निकासी पूर्ववत बनी रहे। तकनीकी, व्यवसायिक तथा जनहित के दृष्टिकोण से पूर्व बैठक दिनाँक 6-11-85 में जो स्वीकृति दी गयी थी उसमें किसी रद्दो बदल की आवश्यकता नहीं है।

इस व्यवसायिक केन्द्र के बनने से न केवल आबूनाला द्वारा वर्तमान प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा बल्कि आबादी के दृष्टिकोण से इस घने इलाके के सौन्दर्यीकरण की दिशा में अच्छी पहल होगी। व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित मानचित्रों की जाँच एवं उसके क्रियान्वयन हेतु एक कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

1- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	अध्यक्ष
2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
3- अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ।	सदस्य
4- प्रो० आर० के० साहू, रुडकी यूनीवर्सिटी।	सदस्य
5- अध्यक्ष, हाईड्रोलौजी, रुडकी यूनीवर्सिटी।	सदस्य

समिति इस निर्माण के डिजाईन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं का सूक्ष्म परीक्षण करके इस प्रोजैक्ट का क्रियान्वयन सुनिशिचत करेगी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस प्रस्ताव को शासन के अनुमोदन हेतु भेज दिया जाये।

मद संख्या - 26

सरधना रोड पर प्राधिकरण की आवासीय योजनान्तर्गत डिसप्लेस्ड आर्य कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के तलपट मानचित्र पर विचार।

सरधना रोड पर प्राधिकरण की आवासीय योजनान्तर्गत डिसप्लेस्ड आर्य नगर कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि खसरा नं०-1002 को प्राधिकरण की योजना तलपट मानचित्र में समायोजित कर लिया जाये। नियमानुसार देय बाहय विकास शुल्क भी जमा करा लिया जाये यह भी सुनिशिचत कर लिया जाये कि समिति आन्तरिक विकास को समय से पूर्ण करायें।

मद संख्या - 27

प्राधिकरण की औद्योगिक योजना सं०-10 में गोपाल गौशाला की भूमि के समायोजन पर विचार।

प्राधिकरण की औद्योगिक योजना में गोपाल गौशाला की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत स्थल क्षेत्रफल के हिसाब से गौशाला हेतु पर्याप्त नहीं है और चूँकि सन्निकट ही आवासीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ गौशाला बनाया जाना उपयुक्त न होगा। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 28

सरधना रोड पर प्राधिकरण की आवासीय योजना में श्री बद्रीश सहकारी आवास समिति लिमिटेड के तलपट मानचित्र पर विचार।

सरधना रोड पर प्राधिकरण की आवासीय योजना में श्री बद्रीश सहकारी आवास समिति के तलपट मानचित्र पर विचार किया गया। प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दिनाँक 25-6-85 की बैठक में स्वीकृत किया गया था तथा तलपट मानचित्र प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव के बाद में प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। भूमि अधिग्रहण हेतु धारा-4 व 6 की कार्यवाही हो चुकी है। प्रस्ताव शासकीय आदेश सं०-4480/37-2-86 दिनाँक 27-10-86 के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत भूमि को अर्जन से मुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि समिति चाहे तो प्राधिकरण की आवासीय योजनान्तर्गत उन्हें भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है।

मद संख्या - 29

मेरठ मवाना रोड पर प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना में स्थित तिलकपुरम आवासीय कालोनी के समायोजन के सम्बन्ध में।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30-1-85 में मेरठ - मवाना रोड पर आवासीय योजना सं०-5 का अर्जन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। अर्जन की धारा - 4 व 6 की अधिसूचना दिनाँक 14-8-87 एवं 4-9-87 को जारी की जा चुकी है। श्री तेजपाल सिंह द्वारा ग्राम कसेरु बक्सर के खसरा सं०-335 एवं 336 में आवासीय उपयोगार्थ तलपट मानचित्र प्राधिकरण में अर्जन प्रस्ताव के बाद दिनाँक 29-4-87 को प्रस्तुत किया गया। प्रशनगत प्रकरण शासकीय आदेश सं०-4480/37-2-86 दिनाँक 27-10-86 की परिधि में नहीं आता है। अत: विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना उचित नहीं है।

मद संख्या - 30

दिल्ली रोड पर ग्राम रिठानी के खसरा नं०-1224,1225, 1228, 1029, 1024 व 1025 की कुल 72.50 एकड भूमि को अर्जन से मुक्त करना।

दिल्ली रोड पर ग्राम रिठानी के खसरा सं०- 1224,1225, 1228, 1029, 1024 व 1025 को अर्जन मुक्त के प्रस्ताव पर विचार किया गया। भूस्वामी के प्रार्थना पत्र पर प्रशनगत भूखण्डों काभूउपयोग दिनाँक 28-3-87 को परिवर्तित कर शासन द्वारा औद्योगिक कर दिया गया। उपरोक्त स्थल का अर्जन प्रस्ताव प्राधिकरणकी बैठक दिनाँक 30-4-87 में स्वीकृत किया गया तथा अर्जन की धारा - 4 व 6 की विज्ञप्तियाँ क्रमश: 14-8-87 एवं 4-9-87 को निर्गत की गयी। भूस्वामी द्वारा रिझानी इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स के नाम से तलपट मानचित्र प्राधिकरण में दिनाँक 10-9-87 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा तलपट मानचित्र भूअर्जन की धारा - 4 व 6 की विज्ञप्ति के बाद प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। अत: विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत भूमि को

अर्जन से मुक्त किया जाना उचित नहीं है । तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

मद संख्या - 31

गढ रोड स्थित मेरठ खास की 35 बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने का प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया जाये और सर्वेक्षण के उपरान्त यह देख लिया जाये कि शेष बची हुई भूमि में प्राधिकरण की कौन सी योजना क्रियान्वित की जा सकेगी । विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष पुन: विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या - 32

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ को पल्लवपुरम आवासीय योजनान्तर्गत 6500 (छः हजार पाँच सौ) वर्गमीटर भूमि सैक्टर रेट के 50 प्रतिशत पर आबंटित किये जाने का प्रस्ताव।

उक्त बिषय पर विचार विमर्श किया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण का कार्य देगा । अत: इस प्रशिक्षण केन्द्र हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली रियायत की तरह भूमि सैक्टर दर से 50 प्रतिशत से आबंटित की जाये तथा यह निर्णय भी लिया गया कि उनके द्वारा जो निर्माण किया जायेगा, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं के बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार होगा ।

मद संख्या - 33

मेरठ खास के खसरा सं०-3074 के भूउपयोग परिवर्तन पर विचार।

मेरठ खास के खसरा सं० ३०७४ के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार किया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रशनगत पूरे

क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाये और प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या - 34

प्राधिकरण में कुर्सी बुनकर के पद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर विचार।

कुर्सी बुनकर के पद के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कुर्सी बुनकर को कान्ट्रैक्ट पर रखना ही उचित होगा । तदनुसार इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।

ह० /-

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।